Vol. 3, No. 1 Jan. - March 2015 ISSN: 2321-5607

Socio - Economic Perspectives

A Quarterly Refereed Journal

10.	Cultural Evolution During Kushana Period: A Comparative Study from Some Excavated Archaeological Sites	- Durgesh Kumar Srivastava	71-74
11.	"पंचायतीराज के माध्यम से महिला उत्थान"	- पुष्पा मिश्रा	75-79
12.	व्यक्तित्व विकास का आधार है विचार	. डॉ. हेमलता जोशी	80-87
13.	स्वास्थ्य पर जनसंख्या व पर्यावरण का प्रभाव--एक अध्ययन	- अर्चना वर्मा	88-90

"पंचायतीराज के माध्यम से महिला उत्थान"

पुष्पा मिश्रा*

महिला उत्थान

आज पूरा देश महिला उत्थान पर मंथन कर रहा है, जिससे यह साबित होता है कि हमारी आधी आबादी की स्थिति अच्छी नहीं है यद्दपि विश्व स्तर पर भारतीय महिलाओं ने राजनैतिक, आर्थिक, उद्योग जगत, सामजिक क्षेत्र, शिक्षा, चिकित्सा, खेल आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जगह बनाई है, लेकिन इनका प्रतिशत काफी कम है। महिला उत्थान के संन्दर्भ में यह जानना अति आवश्यक है कि महिला उत्थानके वास्तवीक सूचक क्या है। विकास के सन्द्रर्भ में महिला को रोजगार से जोड़ना उत्थान है किन्तु यह व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रक्रिया है। सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, विश्लेषणात्मक योग्यता, जागरुकता, गतिशिलता तथा अपनी स्पष्ट पहचान बनाना भी उत्थान की दिशा में किया गया प्रयास है।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

महिला उत्थान एक बहुआयामी अवधारणा है जो वर्तमान संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है। कभी उसे अबला तो कभी उसको सबला कह कर उसके मूल मुद्दों से हमेशा दूर रखने का प्रयास किया गया। पंचायतीराज व्यवस्था में राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित कर उसे सबला बनाने का सकारात्मक कदम उठाया गया है। महिलाओं के राजनीतिक विकास हेतु तीन स्तर देखे जा सकते हैं।

1. स्त्री – पुरुष के मध्य समानता
2. स्वयं की क्षमता के पूर्ण विकास का महिलाओं का अधिकार
3. स्वयं के प्रतिनिधित्व एवं स्वयं में निर्णय लेने का महिलाओं का अधिकार

उक्त तीनों सिद्धान्तों को व्यवहारिक स्वरूप में लागू कर महिलाओं को विकास की मुख्यधारा के साथ जोड़ा जा सकता है। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 महिलाओं और पुरुषों को राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समानता का अधिकार और अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 महिलाओं को लिंग आधारित भेदभाव से मुक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को समान अवसर देता है। अनुच्छेद 39 महिलाओं को सुरक्षा तथा रोजगार का समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था भी करता है। (कश्यप 2011) इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अपने चार्टर के उद्देश्य में समानता को पूर्ण जोर से प्रस्तुत करता है। आन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणा पत्र में लिंग आधारित भेदभाव, शोषण को

---

* सहायक आचार्य, समाज कार्य विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं (राजस्थान)

समाप्त करने तथा पुरुषों के समान मानव अधिकार उपलब्ध करवाने की उद्घोषणा की गई है। महिलाओं के खिलाफ हाने वाले सभी प्रकार के लिंग आधारित भेदभावों से मुक्ति प्रसंविद 1979 का गठन कर समस्त राज्य बिरादरियों से इस पर नीति बनाने, समान अवसर देने तथा समान अवसर पैदा करने की उद्घोषणा की गई। (जाट 2013)

73 वां सविधान संशोधन 24 अप्रैल, 1993 को लागू किया गया। इसके द्वारा संविधान में नया अध्याय 9 जोड़ा गया जिसमें 26 अनुच्छेद एवं 11 वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस संशोधन की धारा – 243 (घ) के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्याशी निर्वाचन में भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न – भिन्न क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जाएंगें तथा 1/3 पद की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में कुल आरक्षित पदों में से आरक्षित किए जायेंगे। पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान अधिनियम में हैं किन्तु यह अनिवार्य नहीं है। यदि राज्य विधान मण्डल चाहें तो वह कर सकता है।

वर्तमान में देश के राजनैतिक ढ़ांचे में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। उक्त संशोधन के बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उदय हुआ और 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये। वर्तमान समय में लगभग 10 लाख से अधिक सदस्य पंचायत पदाधिकारी के रुप में महिलाएं चुनी गयी है। इस प्रकार पंचायती राज में चयनित महिलाओं का एक बड़ा समूह निर्णय लेने की प्रक्रिया में जुड़ गया है।

महिलाएं पुरे विकास का केन्द्र बिन्दू है। प्रगति की दिशा में किसी भी स्तर पर परिवर्तन के लिए महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है फिर भी महिलाएं भेदभाव की शिकार है। अब समय महिलाओं के नेतृत्व का है। पंचायती राज के माध्यम से महिला उत्थान के विषय में संयुक्त राश्ट्र की एक एजेंसी यू.एन.पी.ए. (युनाइटेड नेशन्स पोस्टल एडमीनीस्ट्रेशन) ने अपनी ताजा रिर्पोट में भारत में उपजी राजनीतिक चेतना की सराहना करते हुए कहा है कि पंचायतो के माध्यम से महिलाएं नए उत्साह और स्फूर्ती के साथ विकास में योगदान दे रही है।

पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिला उत्थान :–

विगत वर्षो से पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा महिला आरक्षण की व्यवस्था की गयी है जो कुल संख्या का लगभग एक तिहाई है। महिला आरक्षण की स्थिति अलग–अलग निम्न प्रकार से है –

- अनुसूचित जाति के लिये लगभग 21 प्रतिशत पद आरक्षित होगें जिसमें कम से कम एक तिहाई महिलाएं होगी।
- अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत पद आरक्षित होगें जिसमें एक तिहाई महिलाओं के लिये होगी।

- पिछड़े वर्ग हेतु 27 प्रतिशत पद आरक्षित होगे जिसमें एक तिहाई महिलाएं होगी।
- सामान्य वर्ग की सीटों में से भी एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित होगे।
- अनारक्षित पदों पर भी महिलाएं चुनाव लड़ सकती है।

पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा तीन स्तरों पर प्रयास किये जा सकते है।

1. चयनित महिला प्रतिनिधियों की विकास के क्षेत्र अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरुकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवायी जा सकती है।
2. ग्राम्य विकास के लिए योग्य एवं कर्मठ महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनको चुनाव में खड़े होने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है।
3. समुदाय को सही एवं योग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु जागरुकता प्रदान की जा सकती है।

पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं की भागीदारी से प्रमुख तात्पर्य है कि वे समय – समय पर आयोजित होने वाली बैठकों में अधिक संख्या में भाग ले ताकि निर्णय प्रक्रिया में उनकी निर्णायक भूमिका साबित हो सके। सभी महिलाएं विभिन्न बिन्दूओं पर अपने विचार, अपनी राय दे सकें। अपनी समस्याएं, आवश्यकताएं एवं मुद्दे पंचायत के सामने रख कर हल करने का प्रयास करें। गलत प्रक्रिया, गलत निर्णय, गलत व्यवहार का विरोध निर्भय होकर करें।

पंचायतों के द्वारा महिलाओं को प्राप्त अधिकार राजनीतिक उत्थान की देन है। राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से यह सिद्ध हुआ है कि जनसंख्या स्थिरिकरण एवं लैंगिक असंतुलन में सुधार तथा महिलाओं के हितों को प्रोत्साहित करने में सबसे प्रभावशाली एवं संवेदनशील माध्यम है। समाज की जड़ता, अंधविश्वासों, रुढ़ियों, कुशासन एवं भ्रश्टाचार के उन्मुलन में महिलाओं ने प्रतिकूल वातावरण में भी अच्छा काम किया है, जिसके कारण समाज में जागृति पैदा हुई है।

पंचायती राज व्यवस्था द्वारा महिला उत्थान में बाधाएं :–

अशिक्षा या निरक्षरता एक मुख्य बाधा है जिसके कारण आरक्षण देने के बाद भी महिला जन प्रतिनिधि अपने पद के अनुसार भूमिका निर्वाह नहीं कर पा रही है। महिलाएं ग्राम सभा की बैठको में अंगुठे लगाती है तथा विभिन्न गतिविधियों से अनभिज्ञ रहती है।

महिला जनप्रतिनिधि बैठक में सम्मिलित होने के बावजूद भी अपने भूमिका के प्रति सजग नही रहती है और यदि समझने का प्रयास भी करती है तो वर्षों से चले आ रहें परम्परागत / रुढ़िगत व्यवस्थाओं का शिकार होती है। समाज के रीति रिवाज व जैसे – घुँघट, घर से बाहर

नही जाना, बड़ो के सम्मुख न बोलना आदि सीमाओं का बन्धन महिलाओं के साथ लगा रहता है और इन परिस्थितियों में भूमिका द्वन्द होना स्वाभाविक है। अधिकांश निरक्षर महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान उनके पति या ससुर सरपंच या वार्ड पंच बनकर अप्रत्यक्ष रुप से कार्य करते है। कुछ महिलाएं कर्त्तव्यों के पूर्ति में सलंग्न रहती है। पंचायत की नीति की निष्क्रियता सामाजिक लक्ष्यों को नुकसान पंहुचा रही है।

सुझाव –

इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए मानवीय स्वभाव में बदलाव की आवश्यकता है और ऐसा बदलाव स्वच्छ राजनैतिक प्रयास एवं कटिबद्धता के द्वारा भी लाया जा सकता है। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था के रुप में स्थानीय स्तर पर कार्य एवं अधिकारियों के विकेन्द्रीकरण के द्वारा इस समस्या को न्यूनतम किया जा सकता है। शिक्षा कार्यक्रम, साक्षरता अभियान, सरलीकृत पाठ्य सामग्री का अभिज्ञान आवश्यक है। बालिका शिक्षा, स्कूलों में ठहराव प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिक आनन्ददायी शिक्षा आदि को प्रोत्साहन देना होगा। महिला जनप्रतिनिधियों का विवेकपूर्ण निर्णय ग्रामीण विकास योजना का निर्माण निष्पादन एवं आवश्यकता की जानकारी होना आवश्यक है।

- सतत् एवं साधन प्रशिक्षण से ही निर्वाचित महिलाओं की कुशलता उजागर कर उनमें नेतृत्व क्षमता विकास किया जा सकता है।.
- त्रि–स्तरीय व्यवस्था से जुड़ी महिला जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो अर्थात महिलाओं के साथ किये जाने वाले अपराध के प्रति सामान्य जनता एकमत होकर उसका विरोध करे तथा शोषण या अत्याचार से पीड़ित महिलाओं हेतू त्वरित कानूनी कार्यवाही जैसे कदम उठाये जाने चाहिए।
- सामाजिक कुरीतियों का उनमूलन आवश्यक है। जब तक दहेज, मृत्यु भोज, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतिया है तब तक महिलाओं हेतु त्वरित कानूनी कार्यवाही जैसे कदम उठाये जाने चाहिए।
- लिंग विभेद कम किया जाए, वहीं लोगों की जागरूकता के साथ जन सहयोग आवश्यक है।
- महिला सरपंचो को केवल सरकार हीं नही बल्कि समाज के सभी तबको सें समर्थन मिलना चाहिए, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सके।
- महिला उत्थान के लिए आमजन या सामाजिक, स्वीकारोक्ति जरुरी है। जब तक सबको साथ लेकर नहीं चलेगें तब तक सबकी राय एक नहीं हो सकती है।

- महिला प्रतिनिधियों की व्यवाहारिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उन्हें अपने कार्यों के प्रति सचेत या अभिप्रेरित किया जावे तथा सामाजिक रूढ़ियों से बाहर निकालने के लिए युवाओं एवं वृद्ध समुदाय में समन्वय करते हुए प्रोत्साहन किया जाये।

निष्कर्ष –

उक्त विभिन्न दुबर्लताओं के होते हुए भी पंचायतीराज व्यवस्था महिला उत्थान की दिशा में क्रान्तिकारी कदम साबित हुआ है। महिलाएं ग्रामीण विकास कार्य में सक्रिय भूमिका निभा रही है तथा लिंग भेद, घरेलु हिंसा, महिला शिक्षा की दिशा में सकारात्मक योगदान दे रही है। जहां सीमाएं है वही समाज के एकजूट होकर शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की रुढ़िबद्ध संस्कार व गलत मानसिकता से निजात पाने की आवश्यकता है। महिला जनप्रतिनिधि को अपने अधिकार, कर्त्तव्य व 73 वें संविधान संशोधन के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची (References)

1. प्रेम नारायन शर्मा, संजीव कुमार, वाणी विनायक, स्व सुषमा विनायक (2008) महिला उत्थान एवं समग्र विकास शिवानी आर्ट प्रेस नई दिल्ली
2. वीणा द्विवेदी, मन्जू मण्डोत, लालाराम जाट, सुनिल चौधरी (2013) महिला उत्थान दशा और दिशाएं, हिमांशु पब्लिकेशन नई दिल्ली
3. श्रीराथ शर्मा (2000), पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास
4. पुष्पा मैत्रेयी (2009), सुनो मालिक सुनो वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली